



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2808] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 2808] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3586(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 206बी तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
206बी	167	कर्नाटक राज्य में रारा सं.-67 पर हग्गारी से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश राज्य में अलुर, अडोनी, मंत्रालयम को जोड़ने वाला, कर्नाटक राज्य में रायचूर को जोड़ने वाला, तेलंगाना राज्य में महबूबनगर, जेडचेरला, कलवाकुर्थी, देवेन्द्रकोंडा, मिरयालागुडा को जोड़ने वाला और कोदाद पर रारा-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/8/2016-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2573(अ), दिनांकित 28 जुलाई, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3586(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 206B and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
206B	167	The highway starting from Haggari on NH-67 in the State of Karnataka connecting Alur, Adoni, Manralayam in the State of Andhra Pradesh connecting Raichur in the State of Karnataka connecting Mahbubnagar, Jadcherla, Kalwakurthi, Deverakonda, Miryalaguda and terminating at its junction with NH No. 65 at Kodad in the state of Telangana.

[F. No. NH-14012/8/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2573(E), dated 28th July, 2016.